112

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 18–3–16 पारित द्वारा सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक निग0 930–एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–3–16 पारित द्वारा कलेक्टर, जबलपुर प्रकरण कमांक 37/अ–21/2015–16.

———

शंभू प्रसाद उर्फ शंभूलाल गौंड
पिता रामलाल गौंड
निवासी ग्राम दियाखेड़ा तहसील शहपुरा
जिला जबलपुर ——— आवेदक

विरूद्ध

म0 प्र0 द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ——— अनावेदक

———

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 930–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-3-16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/अ–21/14–15 में पारित आदेश दिनांक 14–3–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम इमझर प.ह.नं. 67 रा.नि.मं. चरगवां तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 312, 313, 314, 317, 318, 404, 418, 453/1, 456, 521, 530, 532 एवं 457 रकबा क्रमशः 0.14, 0.15, 0.24, 0.52, 0.18, 1.00, 0.55, 0.72, 0.25, 0.98, 1.38, 2.16 एवं 0.91 हैक्टर में से 0.80 कुल रकबा 9.07 तथा ग्राम घुघरी प.ह.नं. 76 खसरा नं. 42/2 एवं 104 रकबा क्रमशः 0.200 एवं 0.150 हैक्टर कुल रकबा 0.350 हैक्टर को गैर आदिवासी व्यक्ति केता श्री हेमन्त कुमार अग्निहोत्री पिता स्व. श्री शंभूरत्न निवासी 61 अशोक बिहार गिरिराज किशोर वार्ड तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधिकारी ने उक्त आवेदन नायब तहसीलदार, चरगवां को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा प्रकरण तर्क हेतु दिनांक 23-5-16 के लिए नियत किया गया है । कलेक्टर के आलोच्य आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि प्रस्तावित क्रेता का कहना था कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है और यदि उन्हें तत्काल अनुमति प्राप्त नहीं हुई तो वे भूमि क्रय नहीं कर पायेंगे । किंतु कलेक्टर द्वारा उनके अनुरोध पर ध्यान न देते हुए प्रकरण में लंबी पेशी नियत करदी है, यदि उसे अनुमति नहीं दी गई तो उनका आवेदन निरर्थक हो जायेगा, उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि दर्शित परिस्थिति में इस न्यायालय द्वारा ही उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत आवेदन का निराकरण गुणदोष पर करते हुए उन्हें आवेदित भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये । आवेदक के उक्त तर्क की पुष्टि उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत आवेदन से होती है और उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार योग्य हैं । मेरे द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आदेश पत्रिकाओं, नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किंतु इश्तहार पर कोई आक्षेप नहीं आया । प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, ग्राम में जनजाति के लोग हैं किंतु वे भूमि क्रय करना नहीं चाहते । भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 930 -एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पास 4.01 हैक्टर भूमि शेष बचती है जिसमें 1.46 सिंचित है । आवेदक अपनी शेष बची भूमि को उन्नत बनाने एवं पारिवारिक उन्नति के लिए मकान बनाने आदि के लिए भूमि विक्रय करना चाहता है । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी का प्रश्न है, उनके द्वारा नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमति होते हुए कार्यवाही कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया है । तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत कप्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम इमझर प.ह.नं. 67 रा.नि.मं. चरगवां तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 312, 313, 314, 317, 318, 404, 418, 453/1, 456, 521, 530, 532 रकबा क्रमशः 0.14, 0.15, 0.24, 0.52, 0.18, 1.00, 0.55, 0.72, 0.25, 0.98, 1.38, 2.16 एवं खसरा नं. 457 रकबा 0.91 हैक्टर में से 0.80 कुल रकबा 9.07 तथा ग्राम घुघरी प.ह.नं. 76 खसरा नं. 42/2 एवं 104 रकबा क्रमशः 0.200 एवं 0.150 हैक्टर कुल रकबा 0.350 हैक्टर को गैर आदिवासी व्यक्ति क्रेता श्री हेमन्त कुमार अग्निहोत्री पिता स्व. श्री शंभूरत्न निवासी 61 अशोक बिहार गिरिराज किशोर वार्ड तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन	

R 930 17/16

शंभू प्रसाद विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	